


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
<p align="center">-: आदेश :-</p> <p>श्री खेमलाल महतो पिता स्व० बुधन महतो, ग्राम-जोबर, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़, हजारीबाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अचलोकन किया। उक्त अनुसार आवेदक के नाम से प्रश्नगत भूमि अंचल-विष्णुगढ़, ग्राम-जोबर, थाना संख्या-269, खाता संख्या-20 प्लॉट संख्या-273, 275, 276, 277, 282, 284, रकबा-11.50 डी०, 29.00 डी०, 09.00 डी०, 10.50 डी०, 13.50 डी०, 21.75 डी० कुल रकबा-95.25 डी० भूमि का कोई जमाबंदी कायम नहीं है। आवेदन अनुसार उक्त भूमि का माँग उनके दादा दयाल महतो के नाम से चल रहा है, किन्तु उनके द्वारा पारिवारिक संपत्ति के बँटवारा विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि किस हिस्सेदार को कितनी भूमि का हक प्राप्त है एवं पूर्व में उनके द्वारा कितनी भूमि का निबंधन किया गया है। प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर अन्य हिस्सेदारों का सहमति पत्र भी प्राप्त नहीं है। साथ ही समर्पित वंशावली किसी सरकारी कर्मी / पदाधिकारी से सत्यापित नहीं है।</p> <p>विभागीय पत्रांक 2300 दिनांक 25.06.2019 द्वारा पैतृक / पारिवारिक सम्पत्ति के बँटवारा विलेख के निबंधन पर क्रमशः निबंधन शुल्क 50/- रुपये एवं मुद्रांक शुल्क 50/- रुपये निर्धारित एवं अत्यंत कम करते हुए राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं श्रुतियान रैयत के उत्तराधिकारियों को विधिवत् स्वामित्व प्रदान करने पर जोर दिया गया है।</p> <p>अतः उक्त आलोक में आदेश पारित किया जाता है कि आवेदक निबंधित बँटवारा नामा / उत्तराधिकारी नामान्तरण के साथ आवेदन-पत्र दाखिल करेंगे। तदनुसार अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p align="right">   अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p>	